न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :- हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

(225 आर.टी.एक्ट)

पील संख्या- 69/2016
ी.सी.एम.एस संख्या- 2016/00060

उनवान

1. रामलाल पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी ग्राम कोयला तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।

...प्रार्थी / अपीलांट

बनाम

1. श्रीमति सीता देवी पत्नी श्री रमेश चन्द जाति मीना निवासी टाटा हाउस के अगली वाली गली, बैरवा बस्ती के पास, सवाई मोड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार जी महोदय तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।

...अप्रार्थीगण / रेस्पोडेन्ट ।

उपस्थित:-

1. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

-:: निर्णय ::-

दिनांक: 15.02.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड बामनवास जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व प्रार्थना पत्र 62/2014 उनवान रामलाल बनाम सीता देवी वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2016 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा, मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बामनवास के समक्ष इस आशय का पेश किया कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रतिवादीगण को इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि आराजी खसरा नंबर 245 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 246 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 248 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 249 रकबा 0.22 हैक्टेयर ग्राम कोयला तहसील बामनवास में वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में माने मदाखलत ना करें, ना ही किसी अन्य से करावें। वादी को उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 245 पर स्थित कुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

से आवपाशी करने देंवे। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बामनवास ने दिनांक 14.06.2016 को निर्णय पारित करते हुए वादी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि खसरा नंबर 245, 246, 247, 248, 249 मे से केवल मात्र 0.50 हैक्टेयर भूमि का ही बेचान रेस्पोडेन्ट नंबर 01 श्रीमति रीता देवी को किया गया था। शेष भूमि का किसी को भी बेचान नही किया गया था जो कि खसरा नंबर 245 मे 0.19 है0, 246 मे 0.19 है0, 247 मे 0.18 है0, 249 मे 0.22 है0 है। इस उक्त खसरा नंबरान मे शेष बची हुई भूमि एवम चाह के संबंध मे ही अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश चाहा गया था जो कि चाह खसरा नंबर 245 मे स्थित है। अपीलांट द्वारा चाह का अथवा उसमे किसी भी भाग का रेस्पोडेन्ट नंबर 01 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचाना नही किया गया था। इस चाह पर अथवा उसके किसी भी भाग पर रेस्पोडेन्ट नंबर 01 का कोई हक व अधिकार नही था। दिनांक 14.06.2016 के आदेश से पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांट/प्रार्थी उस दिन न्यायालय के समक्ष राजस्व अभियान मे उपस्थित नही था तथा आदेश मे उसकी अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज हो रही है। ऐसी स्थिति मे यह प्रार्थना पत्र टी0आई0 अपीलांट/प्रार्थी व उसके अधिवक्ता के हाजिर न होने के कारण केवल मात्र अदम हाजिरी अदम पैरवी मे ही खारिज किया जाना चाहिए था। मातहत अदालतने अपीलांट व उसके अधिवक्ता महोदय की गैर मोजूदगी मे इसे मैरिटस पर निर्णित कर अहम कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 14.06.2016 को अपास्त किया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का ने बिना किसी सक्षम न्यायालय/अधिकारी के आदेश के ही उक्त खसरा नंबरान मे मिन नंबर डालकर खातेदारी मे रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज कर दिये एवं नक्शा शीट मे तरमीम भी कर दी! यह कानूनन कतई गलत व न्यायोचित नही है तथा प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरीत है। कूननन जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सह खातेदारो के मध्य बटवारा नही कर दिया जाता जब तक किसी भी खसरा नंबर में मिन नंबर/बटा नंबर नही डाला जा सकता और न ही नक्शा शीट मे विभाजन/तरमीम की जा सकती। जमाबंदी रिकॉर्ड मे एवं नक्शा शीट मे तरमीम करने से पूर्व अपीलांट को भी नही बुलाया बल्कि केवल रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत कर उपरोक्त कार्यवाही कर दी। अतः अपील अपीलांट

अपील प्राधिकारी
वाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 14.06.2016 अपास्त किया जावें।

6. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई है। विक्रेता के अधिकार विक्रय की दिनांक से समाप्त हो जाते है और उक्त अधिकारी क्रेता को प्राप्त हो जाते है। रेस्पो0 द्वारा भूमि क्रय करने के पंजीकृत बयनामा के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम कराई गई है। रेस्पो0 ने विवादित आराजी जो खरीद की है उस पर एक छोटी कुई बनी हुई थी जिसको रेस्पो0 ने हजारों रूपये लगाकर कुए को चौड़ा और गहरा करवाया गया तथा उस कुए से अपनी खरीदशुदा आराजी को सिंचित करता चली आ रही है। किन्तु अपीलांट के बदयान्ती आने के कारण रेस्पो0 को परेशान करने की गरज से यह अपील पेश की है। आगे कथन किया कि जहां तक एकतरफा कार्यवाही करने का प्रश्न है न्याय आपके द्वारा शिविर कोयला में प्रकरण नियत करने से पूर्व दिनांक 03.12.2015 को मातहत अदालत द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनी जा चुकी थी। उसके बाद आदेश हेतु दिनांक 14.12.2015 नियत की गई थी। इसी दौरान वादी ने जिला कलेक्टर के समक्ष मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया, जो खारिज हुआ। तत्पश्चात् प्रकरण न्याय आपके द्वार आदेश हेतु दिनांक 14.06.2016 को नियत किया गया है। इस हेतु अपीलार्थी का यह कथन असत्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपने पक्ष के समर्थन में दृष्टांत 2006 आर.बी.जे. पेज 2 2013 आर.आर.टी. पेज 1108, 1984 आर.आर.डी. पेज 492 पेश किए।

7. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

8. रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि विवादित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2059–2062 वाके ग्राम कोयला, बामनवास में खतौनी संख्या 100 में 245, 246, 247, 248, 249 रामलाल पुत्र मोहरपाल जाति मीना सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड रही है जमाबंदी 2067–2070 में खतौनी संख्या 136 में खसरा नंबर 884/245 रकबा 0.11 है0, 885/246 रकबा 0.11 है0, 886/247 रकबा 0.11 है0, 887/248 रकबा 0.11 है0, 888/249 रकबा 0.06 कुल किता 5 कुल रकबा 0.60 है0 रीना देवी पत्नि रमेशचन्द जाति मीना निवासी मोहचा का पुरा तहसील गंगापुर सिटी के नाम दर्ज रिकार्ड है अलग से देय लगान भी कायम किया जा चुका है। इस जमाबंदी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह सिद्ध है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 सहखातेदारान नही है। अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न विवादित आराजीयात पंजीकृत बयनामा दिनांक 21.07.95 के अवलोकन से जाहिर है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विक्रेता/अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट/क्रेता को विक्रयशुदा आराजी की हद चतुर्दिक का भी अंकन करवाया गया है जो नजरी नक्शे की सूरत में भी है और कब्जा दखलकारी का भी अंकन है।

9. **प्रथमः** यह बिंदु की प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज किया जाना चाहिए था, न्याय के अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मान्य नही है क्योंकि प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया गया है। **द्वितीयः** यह कि बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के ही खाता का पृथक विभाजन कर नक्शा तरमीम कर दिया गया है, पक्षकारान की सहमति से खाते का विभाजन किया गया है का विस्तृत विवेचन आवश्यक मामला में लम्बित मूल वाद मे ही किया जाएगा। इस स्तर पर किसी प्रकार का विवेचन/निर्णय किया जाना विधि विरूद्ध है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रावधान निम्नानुसार है:-

"212:-Provision for injuction and appointment of a receiver.-(1) If in the course of any suit or proceeding under this Act, it is proved by affidavit or otherwise

(a) that any property to which such suit or proceeding relates is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party thereto.

(b) that any party to such suit or proceeding threatens or intends to remove or dispose of the said property in order to defeat the ends of justice"

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के उपर्युक्त प्रावधान अनुसार बिंदुओं की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए कि वे किस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में है:-

(1) प्रथम दृष्टया केस।

(2) सुविधा का संतुलन।

(3) अपूरणीय क्षति।

प्रथम दृष्टयाः– जमाबंदी संवत् 2067–2070 चाके ग्राम कोयला के खातेदी संख्या [illegible] में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एक मात्र खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी प्रविष्टियों से यह अन्तर्निहितार्थ है कि प्रत्येक खाते में खातेदार निश्चित रूप से काबिज काश्त है। विवादित आराजीयात के पंजीबद्ध विक्रय पत्र से भी यह तथ्य बखूबी साबित है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के हक में प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना पाया जाता है।

सुविधा का संतुलनः– एक मात्र रिकार्डेड खातेदार को किसी अन्य खातेदी संवत के खातेदार द्वारा पाबंद नही कराया जा सकता है। अपीलांट तो रेस्पो0 के साथ सहखातेदार भी नही है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी रेस्पो0 01 के पक्ष में बनना पाया जाता है।

एस अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपूरणीय क्षतिः– इस आधार पर यदि रिकार्डेड खातेदार रेस्पो0 01 को उसके काबिज काश्तकारी हको पर प्रतिबंध लगाया गया तो अपूरणीय क्षति रेस्पो0 01 को होगी न कि अपीलांट को।

इस संबंध में अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त चस्पा होते है। माननीय राजस्व मंडल की निगरानी संख्या 141/2000/टीए/श्रीगंगानगर के अनुसारः–

"Temporary Injunction cannot be granted against recorded khatedar"

[RRT 2013(2) page 1108]

10. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन पाए जाने से खारिज की जाती है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी वामनवास जिला सवाई माधोपुर के मुकदमा नंबर 62/2014 बउनवान रामलाल बनाम सीमा देवी वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2016 को यथावत रखा जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 15.02.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner